

## List of Requirements

1. नवीन महाविद्यालय पाठ्यक्रम/विषय की अस्थायी सम्बद्धता/सम्बद्धता वृद्धि के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भेजें।
2. राज्य सरकार के शिक्षा विभाग (ग्रुप-4) विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र भिजवायें।
3. निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा आवेदन पत्र अग्रेषित कर भिजवायें।
4. संस्थान/समिति के संघ विधान की प्रति।
5. संस्थान के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र।
6. महाविद्यालय एवं छात्रावास का नक्शा (ब्ल्यू प्रिन्ट) संलग्न करें।
7. महाविद्यालय की भूमि एवं भवन की रजिस्ट्री की प्रति यदि भवन किराये पर है तो किराया नामे की प्रति।
8. सक्षम राजकीय निकाय द्वारा जारी किया गया भवन प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र।
9. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी किया गया भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र।
10. आवश्यक प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तके, फर्नीचर, खेल सामग्री आदि खरीद बिलों की सत्यापित सूची एवं स्टॉक रजिस्टर की सत्यापित की प्रतियां।
11. यदि महाविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर विषय/कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों की नवीन अस्थायी सम्बद्धता हेतु आवेदन किया गया है तो निर्धारित मानदण्डानुसार कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं पेपर लाईसेंसों की सत्यापित प्रतियां।
12. महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की सूची, नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण की रिपोर्ट, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छांया प्रतियां।
13. महाविद्यालय में सत्र 2016-2017 में नियुक्त एवं कार्यरत प्राचार्य व शैक्षणिक स्टाफ के रू. 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सम्बन्धित प्राचार्य एवं शिक्षक के हिन्दी व अंग्रेजी में हस्ताक्षरित मय फोटोग्राफ नोटेरी द्वारा सत्यापित इस आशय का मूल शपथ पत्र कि सम्बन्धित प्राचार्य एवं शिक्षक सत्र 2015-2016 में आपके महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी महाविद्यालय में नियुक्त एवं कार्यरत नहीं है। साथ ही उनके आई.डी. प्रूफ की सत्यापित प्रतियां भिजवायें।
14. महाविद्यालय आवेदित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों की सत्र 2016-2017 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय पत्रांक: 13650-874 दिनांक 14.07.2014 के क्रम में पाठ्यक्रम के सम्बद्धता शुल्क एवं विलम्ब शुल्क के बराबर राशि रू. .... लाख की कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर एवं महाविद्यालय संस्था के नाम से तीन वर्षों हेतु बैंक गारन्टी सम्बन्धी दस्तावेज विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
15. संस्था की पिछले तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति।
16. महाविद्यालय की वेबसाईट व ई-मेल पते की सूचना।
17. प्रपत्र 1-ए से सी Self Assessment पूर्ण कर भिजवायें।